



क्रमांक

१५२

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

/अकादमी/ संबद्धता/ 2023

भोपाल, दिनांक 11/4/2023

अधिसूचना

द्वितीय संशोधित

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 663 दिनांक 24/03/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से सत्र 2023-2024 की स्थाई/अस्थाई संबद्धता/ नवीनीकरण /पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / सीट संख्या में वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता प्राप्त करने हेतु म.प्र. शासन उच्च प्रपत्रों) के साथ एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क 18% GST सहित जमा करने की अंतिम तिथि नियमानुसार रखी गई है।

क्र.	समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक	निर्धारित अंतिम तिथियां
1	कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंधन, एलएलएम एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2023-2024 में अस्थाई संबद्धता, नवीनीकरण, निरंतरता, सीट संख्या में वृद्धि प्राप्त करने, नवीन विषय, नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की अत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	21-04-2023
2	चिकित्सा शिक्षा के समस्त संकाय के केवल निरंतरता के प्रकरण	21-04-2023
3.	50 % अतिरिक्त बिलम्ब शुल्क सहित (with Late Fee) आवेदन करने की अंतिम तिथि	30-04-2023

NOTE :-

1. महाविद्यालय MP-Online के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य /संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। (पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षक/प्राचार्य की सूची मय मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल एडरेस के साथ)
2. नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो।

विशेष नोट - महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विषयों की आनलाईन के माध्यम से जमा किए गये आवेदन के साथ संपूर्ण दस्ता वेजों की हार्ड कापी सहित अकादमी कक्ष में 07 दिवस में जमा कराना अनिवार्य है आवेदन के अभाव में महाविद्यालय को संबद्धता में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी। महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bubhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबंधी पत्रों का महाविद्यालयों द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जावे।

5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

पृ. क. १५३ /अकादमी/ संबद्धता/ 2023

प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 11/4/2023

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन की ओर पालनार्थ।
- राज्यपाल के अवर सचिव राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- क्षेत्रिय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद श्यामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
- संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव/सहायक के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
- वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- संबंधित नस्ती।

अनुओधिकारी, अकादमी